



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

सुविधा संख्या 03/2017

शिलांग दिनांक 23 जून 2017

विषय: अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), अमीनगांव में आयात और निर्यात कार्गो और सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रवर्धक के लिए संरक्षक की नियुक्ति ।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में 2009 के सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन के कार्गो के प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से पंजीकृत कार्यालय में कोंकोर भवन, सी- 3, मथुरा मार्ग, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076 और मेट्रो रेल भवन, 10वां मंजिल, 33/1, जे.एल.नेहरु मार्ग, कोलकाता 700071 ("कोंकोर" के नाम से) को अंतर्देशीय कंटेनर डिपो अमीनगांव, गुवाहाटी, असम के आयातित माल के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जब तक की यह माल सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 8 के प्रावधानों के अनुसार उन सामानों को घरेलू खपत, भंडारण, और स्थानांतरण की मंजूरी नहीं दी जाती। उसी तरह, कोंकोर, निर्यातित कार्गो जो की अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, अमीनगांव, गुवाहाटी, असम में भरण, लेखा-जोखा सीमा शुल्क परीक्षण स्थानांतरण और कर्गो के माल के सुरक्षित वितरण का भी संरक्षक होगा ।

सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन, 2009 के तहत कार्गो के संचालन के विनियमन 10 के प्रावधान के संदर्भ में, इस सुविधा के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए आईसीडी, अमीनगांव के रूप में कोंकोर को सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

निर्यात और आयात के लिए माल के संरक्षक के रूप में कोंकोर को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 (2) के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत नियमों, विनियमों और समय-समय पर उल्लेखित विषयों पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा ।

दिनांक 30.11.85 के जन सूचना संख्या 3/सीमा शुल्क/85 को तत्काल सुविधा जारी होने के पश्चात निरस्त किया जाता है ।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. उप आयुक्त /करीमगंज /इम्फाल /गुवाहाटी /दिमापुर/धुबरी/आइज़ल /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अंगरतला / शिलांग । उनसे अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी व्यापारी/ निर्यातकर्ता/ आयातकर्ता / संघ को को इस सुविधा द्वारा सूचित करें।
4. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, कांकोर भवन, C-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के विपरीत, नई दिल्ली -110076
5. टर्मिनल मैनेजर, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, इनलैंड कंटेनर डिपो, अमिनगाँव, गुवाहाटी-
6. अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करें ।
7. गार्ड फाइल

रक्ष. चौधरी

(शुभादीप चौधरी)  
अधीक्षक (तकनीकी)